बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–6 / निदे0–TRI –116–01 / 2022– 58

प्रेषक,

निदेशक

सेवा में,

उप सचिव–सह–,
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
बिहार अनुसूचित जनजाति
शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना।

पटना, दिनांक–21/05/2026

विषयः–वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत Support to TRIs Scheme में GIA-General के लिए **₹199.465** लाख (एक करोड़ निन्यानवे लाख छियालीस हजार पांच सौ) मात्र के व्यय का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश सं0–44, दिनांक–15.05.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–28592 / JS&FA/2026, दिनांक–20.04.2026 द्वारा विमुक्त राशि के आलोक में स्वीकृत क्रियाकलाप के लिए Support to TRIs Scheme में GIA-General के अंतर्गत कुल **₹199.465** लाख (एक करोड़ निन्यानवे लाख छियालीस हजार पांच सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गई है। तदालोक में योजना के कार्यान्वयन हेतु **₹199.465** लाख (एक करोड़ निन्यानवे लाख छियालीस हजार पांच सौ) मात्र आवंटित की जाती है।

2-- वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग सं0–44 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–277–शिक्षा–0219–बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (सामान्य)–3106–सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण विपत्र कोड–44–2225.02.277.0219–पी0एफ0एम0एस0 कोड–3548 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3--वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.4.1998 एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

4--इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव, बिहार अनु0 जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना होगें।

5--प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–6 / निदे0–TRI –116–01 / 2022 के पृष्ठ–157 / टि0 पर प्राप्त है।

6–वित्त विभाग के पत्र संख्या–5292, दिनांक–09.05.2025 के आलोक में स्वीकृत राशि के विरूद्ध में आवंटन एवं व्यय की कार्रवाई CFMS 2.0 के SNA Sparsh Module के माध्यम से किया जाएगा।

7– जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–28592/JS&FA/2026, दिनांक–20.04.2026 द्वारा निहित प्रक्रिया के आलोक में राशि का व्यय किया जाएगा।

8–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेगें।

9–इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

10–कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन

21/5/26

निदेशक

ज्ञापांक–6/निदे0–TRI –116–01/2022– 58 **पटना, दिनांक**– 21/05/2026

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन/विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/5/26

निदेशक

ज्ञापांक–6/निदे0–TRI –116–01/2022– 58 **पटना, दिनांक**– 21/05/2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग/ निदेशक, बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना / संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदा0, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0–8डी0/सांख्यिकी शाखा/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/5/26

निदेशक